न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44/2021/प्रा.पत्र/2021	17.05.2021	03.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री सूरज करण चौधरी एफ.बी.ओ मैसर्स बाज्या एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड के पास मेन रोड राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी चौगाई तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

2–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचंद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 03.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.01.2021 को समय 3.31 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स बाज्या एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड के पास मेन रोड राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री सूरज करण चौधरी एफ.बी.ओ मैसर्स बाज्या एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड के पास मेन रोड राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी चौगाई तहसील पीपलू जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन मिक्स –मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड** (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री राजेन्द्र चौधरी को गवाह के स[illegible] [illegible] में [illegible] नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रे[illegible] चौधरी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्[illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त [illegible] मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे 500-500 ग्राम के 35 नग प्लास्टिक के एक बैग नमकीन मिक्स -मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) रखे हुये मे से 500-500 ग्राम के 4 पैकेट का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता, श्री राजेन्द्र चौधरी को रू0 280/-अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा नमकीन मिक्स -मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) 4 पैकेट 500-500 ग्राम कुल मात्रा 2 किलोग्राम को बराबर-बराबर (एक भाग 500-500 ग्राम) को ज्यो का त्यो खाकी कागज मे लपेटकर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I-2780 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2780 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, राजेन्द्र चौधरी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री राजेन्द्र चौधरी ने मौके पर नमकीन मिक्स -मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) बतौर वारंटी बिल पेश नही किया लेकिन बाद से कार्यालय मे मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक बिल कमांक/इन्वॉइस नं0 864 दिनांक 07.01.2021 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/339 दिनांक 11.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/138/एक्ट/2021/23 दिनांक 2[illegible] विक्रेता श्री राजेन्द्र चौधरी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया नमकीन मिक्स -मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) [illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **नमकीन मिक्स –मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड** (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन मिक्स –मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड** (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन मिक्स –मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड** (Namkeen Mix Mixture Choudhary Saheli Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम,2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री सूरज करण चौधरी एफ.बी.ओ मैसर्स बाज्या एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड के पास मेन रोड राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी चौगाई तहसील पीपलू जिला टोंक राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)अप्रार्थी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचंद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट • टोंक

3-9-21
(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner